

विश्व दिव्यांग दिवस: मुख्यमंत्री ने किया राज्यस्तरीय कार्यक्रम का किया उद्घाटन

500 दिव्यांगजनों को बाटे ट्राईसाइकिल एवं सहायक उपकरण
18 मंडलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का लिया गया निर्णय
दिव्यांग पेंशन 300 से बढ़ाकर 1000 रुपए, योगी सरकार का बड़ा निर्णय

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 30 व्यक्तियों, संस्थाओं, नियोक्ताओं एवं सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मिकों को राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने 500 दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल एवं विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए, दिव्य कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विशेष विद्यालयों के मेधावी छात्र-छात्राओं

जिससे सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग और थैरेपी की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किए जाने, सहायक उपकरणों की वित्तीय सहायता को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए तक करने तथा विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत दिव्यांग दंपतियों को 35,000 रुपए की सहायता प्रदान किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मंत्री कश्यप ने कहा कि विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर विभिन्न जिलों से आए 500



दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए गए और विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत 36 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि 03 से 05 दिसम्बर 2025 तक आयोजित

मानवीय आधार पर राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश भेजी गई गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत वापसी की दी मंजूरी

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बांग्लादेश निर्वासित की गई गर्भवती महिला और उसके आठ साल के बच्चे को 'मानवीय आधार' पर भारत में प्रवेश की बुधवार को अनुमति दे दी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को नाबालिग बच्चे की देखभाल करने और बीरमपुर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती महिला सुनाली खातून को हर संभव चिकित्सा सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस बयान पर गौर किया कि सक्षम प्राधिकारी ने मानवीय आधार पर महिला और उसके बच्चे को देश में प्रवेश देने के लिए सहमति जता दी है और उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अंततः उन्हें दिल्ली वापस लाया जाए, जहां से उन्हें पकड़कर बांग्लादेश भेजा गया था। वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और संजय हेगड़े ने अदालत से आग्रह किया कि बांग्लादेश में सुनाली के पति समेत अन्य लोग भी लोग हैं, जिन्हें भारत वापस लाने की आवश्यकता है। इसके लिए मेहता केंद्र से आगे के निर्देश ले सकते हैं। मेहता ने कहा कि वह उनके भारतीय नागरिक होने के दावे को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं। मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ मानवीय आधार पर उस महिला और उसके बच्चे को भारत में आने की अनुमति दे रही है।

राष्ट्रपति बोर्ली- स्वावलंबन से मजबूत होती है राष्ट्रीय सुरक्षा; केरल के तट पर नौसेना ने दिखाई

एजेंसी तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करती है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय नौसेना स्वदेशी तकनीक के विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत को

श्विकसित भारत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। नौसेना ने समुद्र, हवा और सतह पर किया प्रदर्शन इस मौके पर भारतीय नौसेना ने समुद्र, हवा और सतह, तीनों मोकों पर अपनी क्षमता का भव्य प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में 19 बड़े युद्धपोत, जिनमें स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस

विक्रान्त भी शामिल था, एक पनडुब्बी, चार फास्ट इंटरवेशन बोट्स और 32 विमान, लड़ाकू जेट, निगरानी विमान और हेलिकॉप्टर शामिल थे। एमएच-60आर हेलिकॉप्टर ने दी राष्ट्रपति को सलामी नौसेना ने इस दौरान अपने आधुनिक युद्धपोतों और अत्याधुनिक हथियारों की झलक जनता के दिखाई। इस प्रदर्शन में आईएनएस कोलकाता, आईएनएस इंफाल और आईएनएस उदयगिरी जैसी ताकतवर युद्धपोतों ने आकर्षण बढ़ाया। आईएनएस विक्रान्त पर मौजूद मिग-29 विमान के उड़ान भरते ही जनता की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। आसमान में एमएच-60आर

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा कि वह अब प्रमुख समाज सुधारकों की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें समर्पित बड़े स्मारकों पर नहीं जाएंगी, क्योंकि उनके लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था से आम लोगों को असुविधा होती है। मायावती ने 'एक्स' पर एक विस्तृत पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के चार कार्यकाल के दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, डॉ. बी. आर. आंबेडकर और काशीराम जैसे महान समाज सुधारकों और प्रतीकों का

सम्मान किया गया, जिन्हें 'जातिवादी पार्टियों' की सरकारों में अक्सर 'नजरअंदाज' किया जाता था। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बसपा सरकार ने इन नेताओं के नाम पर कई प्रमुख कल्याणकारी

भारत-बांग्लादेश सीमा पर तीन करोड़ रुपये से अधिक का सोना बरामद, तरकर गिरफ्तार

एजेंसी

कोलकाता। बीएसएफ को दक्षिण बंगाल सीमांत पर बड़ी कामयाबी मिली। बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल

बीएसएफ दक्षिण बंगाल सीमांत के जनसंपर्क अधिकारी और डीआईजी नीलोत्पल पाण्डेय के मुताबिक मंगलवार को 32वीं वाहिनी सीमाचौकी तुंगी को गुप्त सूचना

के नदिया जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा एक बांग्लादेशी तरकर को उस समय गिरफ्तार किया जब वह अवैध सोने के बिस्कुटों के साथ सीमा पार करने का प्रयास कर रहा था। जब्त किए गए सोने के बिस्कुटों का कुल वजन 2354.73 ग्राम और अनुमानित कीमत 3,05,99,716 आंकी गई है।

मिली कि पर कुछ बांग्लादेशी तरकर अवैध सोने की तरकरों की फिराक में हैं। जवान तुरंत सतर्क हो गए। शाम करीब 5 बजे दो संदिग्ध व्यक्ति जलकुंभी की आड़ लेकर झील के रास्ते बांग्लादेश की तरफ से भारत की सीमा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। सतर्क जवानों ने दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को चेतावनी दी और उनको

घेरने का प्रयास किया। एक तरकर को जवानों ने पकड़ लिया जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। इसके बाद आस पास के इलाके की गहन तलाशी ली गई। मौके से कुछ पैकेट बरामद हुए, जिसकी जांच करने पर उसके अंदर से सोने के 20 बिस्कुट बरामद हुए। पकड़े गए तरकर को आगे की पूछताछ के लिए सीमा चौकी तुंगी लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान तरकर ने बताया कि वह बांग्लादेश का रहने वाला है और कुछ समय से सीमा पार अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। उसने बताया कि उसे यह सोना सीमा पार किसी अन्य व्यक्ति को सोपना था, जिसके बदले में उसे कुछ पैसे देने का वादा किया गया था, लेकिन बीएसएफ ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया और वे अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके। गिरफ्तार किये गए तरकर को जब्त सोने के साथ आगे की कानूनी कार्यवाई हेतु संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है।

सक्षिप्त समाचार

केंद्र की सख्त चेतावनी, दिल्ली की जहरीली हवा पर लगाम, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर तलवार लटकती एजेंसी नयी दिल्ली। केंद्र ने लगातार खतरनाक वायु गुणवत्ता के बीच बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को 31 दिसंबर तक वास्तविक समय में उत्सर्जन निगरानी प्रणाली और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित न करने पर अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को इस महीने के भीतर अपनी 2026 की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं को अंतिम रूप देने का भी निर्देश दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिये गये। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध यक्ष वीर विक्रम यादव ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में 2,254 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों ने अभी तक अपने ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) को सीपीसीबी सर्वर से स्थापित और कनेक्ट नहीं किया है। यादव ने कहा, "31 दिसंबर की समय सीमा को पूरा नहीं करने वाले उद्योगों के खिलाफ उन्हें बंद करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दहेज में मिला पैसा और सोना वापस पाने का अधिकार

एजेंसी

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि तलाक पर अधिकारों का संरक्षण

एक्ट, 1986 के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को पिता से मिले दहेज का पैसा और सोना वापस का पाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तलाकशुदा महिला रौशनारा बेगम के मामले में सुनाया, जिन्होंने अपने पहले पति से दहेज के रूप में प्राप्त सात लाख रुपए और तीस ग्राम सोने की वापसी के

लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। रौशनारा बेगम का निकाह 2005 में हुआ था और 2011 में उनका तलाक हो गया था। निकाह के समय महिला के पिता ने दामाद को सात लाख रुपए और तीस ग्राम सोने के गहने दिए थे, जिसकी बुजुर्ग कार्यारी निकाह रजिस्टर में दर्ज थी। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने काजी और महिला के पिता के बयानों में असंगति का हवाला देते हुए महिला का दावा खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि निकाह के समय मिले धन और गहनों का संबंध महिला की सुरक्षा और गरिमा से है। अदालत ने इस कानून की व्याख्या महिला के समानता और गरिमा के संवैधानिक अधिकारों के आधार पर की।

जनसंपर्क और ज़मीनी विरोध पर जोर : PM Modi ने बंगाल बीजेपी सांसदों को दिया चुनावी सफलता का सीक्रेट फॉर्मूला

एजेंसी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राज्य के मौजूदा हालात में स्पष्ट संवाद और जन-सम्पर्क की जरूरत है, और पार्टी को ज़मीनी स्तर पर जो कुछ हो रहा है, उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। सूत्रों के अनुसार, 2026 की तैयारियों के संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने सांसदों से विस्तृत प्रस्तुतियाँ तैयार

करने और आगामी राजनीतिक योजना व लामबंदी के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। प्रधानमंत्री के एक करीबी सूत्र के अनुसार, मोदी

ने इस बात पर जोर दिया कि एसआईआर को ज़्यादा जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए और यह संदेश ज़मीनी स्तर तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने प्रक्रिया में स्पष्टता और दक्षता पर जोर देते हुए कहा कि एसआईआर अभियान को सरल और पारदर्शी रखें। इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि योग्य मतदाताओं को शामिल किया जाए और जो योग्य नहीं हैं उन्हें हटाया जाए। उन्होंने सांसदों से 2026 के विधानसभा चुनावों

की तैयारी में पार्टी को केंद्रित और आश्वस्त बनाए रखने का भी आह्वान किया। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी की ताकत का लाभ उठाने और वर्षों से बनी गति को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों से कहा कि सांसद खगेन मुर्मू पर हमले जैसी घटनाओं को प्रभावी ढंग से उजागर किया जाना चाहिए ताकि लोग टीएमसी से जुड़ी हिंसा

को समझ सकें। कल, 3 दिसंबर को, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यालय में संसद भवन में असम के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मुलाकात की। बैठक के दौरान, उन्होंने उनकी संसदीय गतिविधियों पर चर्चा की और उन्हें जनता के बीच अधिक सक्रिय होने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के साथ-साथ जनभागीदारी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

कांग्रेस का संसद में हंगामा, नई लेबर कोड से मजदूरों की नौकरी पर संकट, खरगे का मोदी सरकार पर तीखा हमला

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को मोदी सरकार पर "मजदूर विरोधी और पूंजीपति सम्पर्क" होने का आरोप लगाया और दावा किया कि हाल ही में लागू चार श्रम संहिताओं के कारण श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा एवं स्थायित्व खतरे में पड़ गया है। खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी सांसदों ने श्रम संहिताओं के खिलाफ बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। बाद में खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मोदी सरकार मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी और पूंजीपतियों की सम्पर्क है। विपक्षी दलों ने आज संसद में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए, नयी लागू की गई श्रम संहिताओं पर कड़ी आपत्ति जताई। नयी संहिताओं में कुछ गंभीर चिंताएँ हैं।" उन्होंने दावा किया कि छंटनी की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि भारत में 80 प्रतिशत से अधिक कारखाने अब सरकार की मंजूरी के बिना श्रमिकों को नौकरी से हटा सकते हैं, जिससे नौकरी की सुरक्षा कम हो जाएगी। खरगे ने कहा कि तय समयसीमा वाले रोजगार के विस्तार से कई स्थायी नौकरियाँ खत्म हो जाएंगी तथा कंपनियाँ अब दीर्घकालिक लाभ से बचते हुए, अल्पकालिक अनुबंध पर श्रमिकों को काम पर रख सकती हैं।

पीएम मोदी सरकार के पास जाति जनगणना पर ठोस रूपरेखा नहीं, बहुजनों के साथ विश्वासघात : राहुल

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निचले सदन में अपने लिखित प्रश्न का सरकार द्वारा दिए गए उत्तर का हवाला देते हुए बुधवार को दावा किया कि मोदी सरकार के पास जाति जनगणना को लेकर कोई ठोस रूपरेखा और योजना नहीं है और यह देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा था। उनका जवाब चकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा न ही जनता से संवाद।" उन्होंने दावा किया, "दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं है। मोदी सरकार की यह जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है।" राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में लिखित प्रश्न किया था, "दशकी जनगणना की तैयारी के लिए प्रमुख प्रक्रियात्मक कदमों का ब्यौरा और संभावित समयसीमा क्या है, जिसमें प्रश्नों की तैयारी, कार्यक्रम निर्धारित करना शामिल है? क्या सरकार का जनगणना के सवालों का प्रारूप प्रकाशित करने और इन सवालों पर जनता या जनप्रतिनिधियों से इनपुट लेने का कोई प्रस्ताव है? क्या सरकार अलग-अलग राज्यों में किए गए जाति सर्वेक्षण समेत पिछले अनुभवों पर विचार कर रही है।

संपादकीय

एसआईआर पर नया विवाद

24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर का आदेश) दिया था, जो शुरुआत से विवादों में बना रहा। इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं विपक्ष ने प्रकट कीं, जिनमें से कई सही भी साबित हुईं। लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष की चिंताओं का कोई समाधान नहीं किया। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा ने भी लगातार एसआईआर को जरूरी बताते हुए चुनाव आयोग का बचाव किया। भाजपा ने तो यहां तक दावा किया कि विपक्ष घुसपैठियों का साथ दे रहा है, इसलिए वो एसआईआर का विरोध कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने आज तक यह नहीं बताया है कि उसे किनने घुसपैठिए मतदाता के तौर पर मिले हैं। बहरहाल, एसआईआर पर उठ रहे कई तरह के सवालों के बीच अब एक बड़ा खुलासा अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। जिसके बाद चुनाव आयोग का फैसला और नीयत दोनों पर तत्काल सफाई पेश किए जाने की जरूरत है। क्योंकि एसआईआर में सबसे बड़ी चिंता यही थी कि नागरिकों से उनके मतदान का हक छीना जा रहा है। यह चिंता इस खुलासे के बाद और गहरा आदेश की दखल इंडियन एक्सप्रेस ने एसआईआर के आदेश के मसौदे में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संघु द्वारा की गई एक अहम टिप्पणी को हटाने का खुलासा किया है। श्री संघु ने आदेश के ड्राफ्ट संस्करण में एक सतर्कता वाली टिप्पणी दर्ज की थी। जो हटा दी गई है। चुनाव आयुक्त संघु ने ड्राफ्ट आदेश की फाइल में लिखा था— शयद ध्यान रखा जाना चाहिए कि वास्तविक मतदाताध्नागरिक, विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग के लोग परेशान न महसूस करें और उन्हें सुविधा प्रदान की जाए।यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब एसआईआर के लिए वैध दस्तावेज की सूची जारी की गई, तो सबसे ज्यादा तकलीफ में गरीब ही आए। बिहार से ऐसी ढेरों खबरें आईं, इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल भी पूछा गया कि आधार को दस्तावेज लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया। दो बार की मौखिक सलाह के बाद तीसरी बार अदालत को भी आधार शामिल करने के लिए चुनाव आयोग को सख्त लहजे में कहा गया। अब श्री संघु की टिप्पणी के बाद समझ आ रहा है कि चुनाव आयोग में भी नागरिकता बचाने पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। ये और बात है कि उस चिंता को जाहिर नहीं होने दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे किसका दबाव था, क्या चुनाव आयुक्तों में मतभेद है, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने साथी चुनाव आयुक्त द्वारा व्यक्त की गई चिंता की उपेक्षा की, ऐसे कई सवाल इस खुलासे के बाद उठ रहे हैं।गौरतलब है कि अंतिम आदेश में श्री संघु की टिप्पणी को हटा दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बाद में उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा देखे गए ड्राफ्ट आदेश के पैराग्राफ 2.5 और 2.6 में एसआईआर को स्पष्ट रूप से नागरिकता अधिनियम से जोड़ा गया था और अधिनियम में हुए बदलाव को इस प्रक्रिया का औचित्य बताया गया था। ड्राफ्ट आदेश में लिखा था कि श्रायोग का संवैधानिक दायित्व है कि भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम, 1955 (रनागरिकता अधिनियम) के अनुसार केवल नागरिकों के ही नाम मतदाता सूची में शामिल हों। नागरिकता अधिनियम में 2004 में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था लेकिन उसके बाद देशभर में कोई गहन संशोधन नहीं किया गया था लेकिन अंतिम आदेश में नागरिकता अधिनियम और 2003 में पारित तथा 2004 से लागू संशोधन के सभी संदर्भ हटा दिए गए। उसकी जगह लिखा गया— श्चुकि संविधान के अनुच्छेद 326 में निर्धारित मूलभूत शर्तों में से एक यह है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। फलस्वरूप, आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि केवल नागरिक ही. . .है। यह पैराग्राफ अचानक बीच में ही खत्म हो जाता है, वाक्य सेमिकोलन के बाद अधूरा रह जाता है।24 जून से अब तक चुनाव आयोग ने इस अ्प्री लाइन पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि आखिर वो लाइन अधूरी क्यों है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उसने 28 नवंबर को आयोग के प्रवक्ता से दोनों आदेशों में हुए बदलाव के बारे में पूछा था, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं मिली। वहीं आयुक्त संघु से भी उनकी टिप्पणी के बारे में और यह भी पूछा गया कि क्या उनका चिंताओं का समाधान किया गया, लेकिन वे भी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। यह अजीब बात है कि आयुक्त संघु ने नागरिकता के जिस बिंदु पर चिंता जाहिर की थी, उसका नाम लिए बिना ही उसे अंतिम आदेश के पैराग्राफ 13 में शामिल कर लिया गया। 24 जून के आदेश में लिखा हैरू श्चुकि यह गहन संशोधन है, इसलिए यदि 25 जुलाई 2024 से पहले गणना फॉर्म जमा नहीं किया गया तो मतदाता का नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किया जा सकेगा। फिर भी, सीईओआईओईआरओबीएलओ यह भी सुनिश्चित करें कि वास्तविक मतदाता, विशेषकर वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग के लोग परेशान न हों और उन्हें अधिक से अधिक सुविधा दी जाए, जिसमें स्वयंसेवकों की नेतानी भी शामिल है।र गौर कीजिए कि एसएस संघु की टिप्पणी से रनागरिकश् शब्द का उल्लेख यहां पूरी तरह हटा दिया गया है।

राशिफल

मे़ष :— परिजनों व मित्रों का सनिध्य से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य–पेशे में कोई अवरोधित कार्य सार्थक होने के आसार है। मांगलिक एव सांस्कृतिक आयोजनों में सम्मलित होंगे। महत्वपूर्ण कार्य में आलस्य ना करे।
वृषभ :— परिश्रम द्वारा आर्थिक क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। समय बड़ा मूल्यवाना है। अत: इसे व्यर्थ न गंवायें। किसी नए सम्वेदना का प्रभाव नए रिश्ते को जन्म देगा। अभिभावकों का सहयोग प्राप्त होगा।
मिथुन :— परम्पराओ व संस्कारों कें प्रति आस्था बढ़ेगी। निर्थक हीनभाव एवं कुछ साथ के प्रगतिशील व्यक्तियों से ईर्ष्या भाव ठीक नहीं। अरिथर मन लक्ष्य के प्रति केन्द्रित होने में असमर्थ होगा।
कर्क :— किसी महत्वपूर्ण कार्य वश घर से दूर रहना अरुचिकर लगेगा। आपका मिलनसारिता के कारण सम्बन्धो का विस्तार होगा। कमजोर मनोबल के कारण लक्ष्य के प्रति दुर्दृता का अभाव रहेगा।
सिंह :— किसी महत्वपूर्ण कार्य में थोड़ी कठिनाई का अभास होगा। संवेदनशील मन पुरानी मर्मस्पर्शी घटनाओं से ओत–प्रात होगा। परिवारिक दायित्वों को समयानुकूल पूर्ति हेतु मन चिन्तित होगा।
कन्या :— प्रयासरत क्षेत्रों में अवरोध तथा दाम्पत्य जीवन में कष्ट संभव। परन्तु ईरीय आस्था हर परीस्थिती पर बिजय प्राप्त करेंगे। धैर्यपूर्वक महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करें।
तुला :— घर–परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। पिछले दिनों उत्पन्न को व्यवसायिक अवरोध के हल ढूँढने में मन केन्द्रित होगा। किसी पुराने मित्र की मध्यस्तता से बिगड़े हुए सम्बन्धों में सुधार होगा।
वृश्चिक :— मनोवांछित सफलता न मिलने से उत्साह में कमी होगी। भौतिक चका–चौद से प्रभावित मन अभाव की अनुभूति से दुखित होगा। धैर्यहीनता व परिवर्तशीलता लक्ष्य से दिग्भ्रमित करेगा।
धनु :— आपकी महत्वाकांक्षाए सफलता की राह पर संघर्ष हेतु प्रेरित करेंगी। अच्छी भावनाएँ आपके मकसद सफलता दिलाएँगी। कार्य क्षेत्र में अपनं बौद्धिक क्षमता का लाभ उठाएँगे।
मकर :— कुछ नये सम्बन्ध नयेंगें। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद सम्भव। कर्तव्य व जिम्मेदारियों से घिरा मन अपनी कल्पनिक आकांक्षाओं से समझौता करने में सक्षम होगा। किसी नई दिशा में रुचि बढ़ेगी।
कुंभ :— मन को खराब विचारो से दूर रखते हुए अच्छे कायरे में केन्द्रित करें। नई स्थितियों आप मे नई प्रतिभाओं का संचार करेगा। कार्यकुशलता व प्रतिभा का जोहर बिखेरेंगे।
मीन :— अपनी वाणी पर नियंत्रणरखते हुए सम्बन्धों को मधुर बनाने की चेष्टा करें। प्रतिभा व आत्मबल कुछ महत्वपूर्ण सफलताओ के प्रति आशाप्वित करेगा। आर्थिक लाभ के आसार हैं।

संचार साथी ऐप : सुरक्षा का दावा या निगरानी का हथियार?

बृजेश चतुर्वेदी

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा लाए गए संचार साथी ऐप और उसके प्रमुख फीचर चक्षु पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जहाँ एक ओर सरकार इसे डिजिटल सुरक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर, ऐप की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारीयाँ और इसकी अनिवार्यता पर DoT का निर्देश इसकी भूमिका को सुरक्षा उपकरण से कहीं अधिक राज्य–प्रायोजित निगरानी (State– Sponsored Surveillance) के रूप में संदेह के घेरे में ला खड़ा करते हैं। यह विवाद तब और गहरा गया जब व्ज- ने स्मार्टफोन निर्माताओं से संचार साथी ऐप को सभी नए उपकरणों में प्री–इंस्टॉल करने और पुराने फ़ोनों में भी अपडेट के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए कहा, साथ ही यह भी निर्दिष्ट किया कि उपयोगकर्ता इसे डिलीट न कर पाएँ।

चक्षु की सीमाएँ : सुरक्षा का

खोखला दावा

संचार साथी ऐप का मुख्य आकर्षण श्चक्षु फीचर है, जिसे फ़ॉड पहचानने का टूल कहा जा रहा है। हालाँकि, इसकी आधिकारिक वेबसाइट यह स्पष्ट करती है कि:
वित्तीय ठगी या साइबर अपराध की शिकायत के लिए चक्षु एक सुविधा नहीं है।
यदि किसी नागरिक का पैसा चला गया है या वह साइबर क्राइम का शिकार हुआ है, तो उसे अनिवार्य रूप से हैल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in वेबसाइट पर रिपोर्ट करना होगा।

इससे स्पष्ट है कि चक्षु केवल संभावित धोखाधड़ी वाले कॉल, SMS या WhatsApp संदेशों की रियॉर्टिंग के लिए है। असली अपराध होने, या वित्तीय नुकसान हो जाने पर, ऐप की भूमिका लगभग शून्य है। ऐसे में, यह बड़ा सवाल उठता है कि यदि यह ऐप साइबर सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण पहलूकआर्थिक नुकसानकृमें नागरिक की मदद नहीं कर सकता, तो 100 करोड़ मोबाइल में इसे जबरन डलवाने

का उद्देश्य सुरक्षा से अधिक क्या है? विपक्ष का तर्क है कि यह मंशा जासूसी के सिवा कुछ और नहीं हो सकती। जरूरत से ज्यादा परमीशन और प्राइवेसी का हनन
यह संदेह और भी पुख्ता हो जाता है जब हम ऐप द्वारा माँगी जा रही अनुमतियाँ (Permissions) की सूची पर गौर करते हैं। संचार साथी की यह खतरनाक (Dangerous) परमीशन की मांग करता है, जिनमें शामिल हैं: android.permission.SEND–SMS: SMS भेजने की अनुमति, जिससे वित्तीय लागत आ सकती है। android.permission.READ–SMS: फ़ोन पर स्टोर किए गए ईं डै या डडै पढ़ने की अनुमति, जिससे गोपनीय जानकारी लीक हो सकती है। android.permission.READ–CALL–LOG: उपयोगकर्ता के कॉल लॉग तक पहुँच। android.permission.READ–PHONE–STATE: फ़ोन नंबर, सीरियल नंबर और कॉल की स्थिति जैसी जानकारी तक पहुँच।

2030 राष्ट्रमंडल खेल और 2036 विश्व-ओलंपिक : भारत की सांस्कृतिक-शक्ति रणनीति का अवसर, जोखिम और भविष्य वैश्विक प्रतिष्ठा से लेकर आर्थिक बोझ तक-विशाल खेल आयोजनों की मेजबानी में भारत की रणनीतिक चुनौती और संभावनाएँ



—डॉ सत्यवान सौरभ

सन 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सन 2036 के विश्व–ओलंपिक प्रस्ताव का निर्णायक “अपटू” है। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक–शक्ति (सॉफ्ट पावर) को नई ऊँचाई दे सकता है, परन्तु किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कमी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को अघात पहुँचा सकती है। विशाल खेल आयोजन किसी भी राष्ट्र के लिए मात्र खेल–प्रतियोगिताएँ नहीं होते, बल्कि वे उस देश की राजनैतिक इच्छा–शक्ति, आर्थिक सामर्थ्य, सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक परिपक्वता का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होते हैं। आधुनिक समय में खेल कूटनीति एक प्रकार की सांस्कृतिक–शक्ति बन चुकी हैक्यूएसी शक्ति जो बिना किसी सैन्य बल के, विश्व समुदाय को अपने अनुकूल प्रभावित कर सकती है। भारत लंबे समय से विश्व–स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा के विविध आयामों को सुदृढ़ करने का प्रयास करता आया है, और सन 2036 के विश्व–ओलंपिक आयोजन की महत्वाकांक्षा इसी दिशा का अगला स्वाभाविक चरण है। परंतु ओलंपिक जैसे विराट आयोजन से पहले सन 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की

का सबसे विवादास्पद पहलू उनकी भारी आर्थिक लागत है। सन 2010 और “वैश्विक विश्वास की परीक्षा” के रूप में देख रहा है। यह रणनीति जितनी आकर्षक संभावनाएँ प्रदान करती है, उतनी ही गंभीर आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में इस प्रकार के आयोजनों की तैयारी केवल खेल मंत्रालय का ही, बल्कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, नगर निकायों, सुरक्षा संस्थाओं, निजी क्षेत्र, तकनीकी विशेषज्ञों, खेल संघों और व्यापक समाजकुसमी का संयुक्त प्रयास मांताी है। यदि भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सफलतापूर्वक आयोजित कर लेता है, तो यह विश्व स्तर पर यह संदेश जाएगा कि देश 2036 के विश्व–ओलंपिक जैसे महाकाय आयोजन को संभालने में सक्षम है। यही कारण है कि यह आयोजन भारत की विश्वसनीयता के लिए एक निर्णायक पड़ाव साबित हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी प्रेरणा सांस्कृतिक–शक्ति को सुदृढ़ करना है। आज वैश्विक राजनीति में खेल आयोजन एक सांस्कृतिक उत्सव से आगे बढ़कर राष्ट्र की क्षमताओं की खुली परीक्षा बन चुके हैं। राष्ट्र अपनी तकनीकी दक्षता, शहर–प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक समावेशन, पर्यावरण–जागरूकता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का विश्व मंच पर प्रदर्शन करते हैं। भारत यदि सन 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को उच्च स्तर पर सम्पन्न करता है, तो यह निःसंदेह भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊँचाई प्रदान करेगा। किन्तु इस सफलताका इसी दिशा का अगला चरण है। परंतु ओलंपिक जैसे विराट आयोजन से पहले सन 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की

बस्तर में हो रहा है सुनहरा सवेरा...

सांस ले रहा हो, लेकिन इसके दशकों पुराने घाव बेहद गहरे हैं। सैकड़ों जानवां और निर्दोष नागरिकों की हत्या, विकास से पूरी पीढ़ियों को वंचित रखना और भय का वातावरण



ये सब नक्सलवाद की भयावह विरासत रही है। 2000 के दशक की शुरुआत में इसकी ताकत चरम पर थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे देश की “सबसे बड़ी लेकिन राजनीतिक मजबूरियाँ और संकल्प के अभाव में कांग्रेस सरकारें इस खतरे पर निर्णायक प्रहार नहीं कर सकीं। उस दौर में बस्तर से लेकर राजनांदगांव, गरियाबंद और

कवर्धा तक आतंक की जड़ें फैल चुकी थीं। नक्सलियों का लक्ष्य दतेवाड़ा से दिल्ली तक लाल झंडा फहराने का था, जिसे अर्बन नक्सल नेटवर्क से भी समर्थन मिलता था। कवर्धा तक आतंक की जड़ें फैल चुकी थीं। नक्सलियों का लक्ष्य दतेवाड़ा से दिल्ली तक लाल झंडा फहराने का था, जिसे अर्बन नक्सल नेटवर्क से भी समर्थन मिलता था। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने इस गंभीर खतरे को नजरअंदाज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 200 जिले माओवादी आतंक की चपेट में आ गए और विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके विपरीत, आज मोदी सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार ने स्पष्ट रूप से समझा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को उनके हाल पर

android.permission.WRITE–EXTERNAL–STORAGE: बाहरी स्टोरेज की सामग्री को पढ़ने, संशोधित करने या हटाने की अनुमति। किसी भी ऐप को प्री–इंस्टॉल करने और उसे डिलीट न करने देने की जिद, साथ ही इतने व्यापक डेटा तक पहुँच की मांग करना, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार केवल खोए गए फोन को खोजने या फ़ॉड रोकने से अधिक, नागरिकों की निजता में घुसपैठ करने में दिलचस्पी रखती है। आलोचकों का तर्क है कि ऐप, ऐसा ऐप जो कैमरा, माइक, लोकेशन, कीबोर्ड और कॉल लॉग तक आधिकारिक तौर पर सुनने–देखने लगे, वह नियंत्रण स्थापित करने का एक माध्यम बन जाता है। उपयोगकर्ता रेटिंग : सीमित प्रभावशीलता की कहानी उभावब्ध डेटा के अनुसार, ऐप को 14,826 समीक्षाओं के विश्लेषण पर औसत 4.4 की रेटिंग मिली है, जिसमें 85% उपयोगकर्ता संतुष्ट हैं। हालाँकि, समीक्षाओं में 11% (1636) गंभीर समस्याएँ (Issues

Reported) भी दर्ज की गई हैं। संतुष्टि की उच्च रेटिंग के बावजूद, ऐप की मुख्य सीमाएँक्यूजैसे कि गंभीर साइबर अपराधों के लिए अक्षमताकू बनी हुई हैं। समीक्षा डेटा यह पुष्टि करता है कि ऐप कुछ बुनियादी स्तर की सहायता प्रदान कर सकता है (जैसे खोए हुए फोन को ट्रैक करना), लेकिन समीक्षाओं की मात्रा में वृद्धि (विशेषकर नवंबर 2025 के अंत में एक महत्वपूर्ण वृद्धि) और 11% गंभीर रिपोर्ट किए गए मुद्दे, इसकी पूर्ण प्रभावशीलता और विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करते हैं। निरंकुशता की राह पर भारत? आलोचक इस कदम की तुलना रूस के निरंकुश शासन से कर रहे हैं, जहाँ 1 सितंबर 2025 को सरकार नियंत्रित मैसेजिंग मैनेजमेंट ऐप MAX को प्री–इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया था। रूस में यह ऐप सुरक्षा एजेंसी थैंड को लोगों के कॉल, लोकेशन, टेक्स्ट मैसेज और सोशल मीडिया डेटा तक पहुँच प्रदान करता है। भारत में भी, निरंकुश सत्ता के आरोप के बीच, यह कदम श्जासूसीश की आशंकाओं

को जन्म देता है। पहले से ही NATGRID जैसे डेटाबेस की समीक्षा और हाल ही में संशोधित DPDP एक्ट के नियम 23, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी भी सेवा प्रदाता से सारा डेटा मांगने की शक्ति देते हैं, ने इन आशंकाओं को और बल दिया है। संचार साथी ऐप को अनिवार्य बनाने का निर्णय लोकतंत्र में एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। यदि ऐप वास्तविक साइबर सुरक्षा में सीमित भूमिका निभाता है, लेकिन निगरानी के लिए खतरनाक अनुमतियाँ मांगता है, और उसे डिलीट करने पर प्रतिबंध लगाता है, तो यह स्पष्ट है कि इसका मकसद नागरिक सुरक्षा से कहीं अधिक सार्वभौमिक निगरानी है। एक लोकतांत्रिक देश में, सरकार द्वारा हर नागरिक को ट्रैक करने के लिए जबरन ऐसा उपकरण डालना, नागरिकों की स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार पर एक सीधा हमला है। सरकार को या तो अपनी मंशा साफ करनी होगी, या इस निरंकुश निर्देश को तुरंत वापस लेना होगा।

जाती है। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक है कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को एक वित्तीय प्रयोगशाला की तरह उपयोग किया जाए, जहाँ सार्वजनिक–निजी सहभागिता, सामाजिक उत्तरदायित्व निधि, पर्यटन आधारित आय, और भागीदारी मॉडल जैसे उपायों की पहले से जाँच हो सके। यह देखा जा सके कि कौन–सा मॉडल भारत की सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अधिक स्थायी और सफल हो सकता है। परंतु आलोचना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि क्या भारत जैसे विकासशील राष्ट्र को इतने बड़े आयोजनों पर अत्यधिक धन व्यय करना उचित है? क्या यह धन विद्यालयों, स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण खेलों, महिला खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल विज्ञान प्रयोगशालाओं और खेल अकादमियों जैसे बुनियादी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता? यह प्रश्न अत्यंत तर्कसंगत है। किसी भी खेल आयोजन का मूल उद्देश्य “राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की चमक” नहीं, बल्कि “राष्ट्रीय प्रतिभा का विकास” होना चाहिए। यदि आयोजन पर खर्च किए गए संसाधन जमीनी स्तर के खेल ढांचे से ध्यान हटाकर केवल भव्यता के निर्माण में लग जाँएँ, तो यह राष्ट्रहित के प्रतिकूल होगा। इसके अतिरिक्त, यह डिजिटल भारत की अवधारणाक्यूजैसे पूर्णतः डिजिटल प्रवेश–प्रणाली, दूर–संवेदन सुरक्षा व्यवस्था, तेज संचार तंत्रकूविश्व के सामने भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता का अत्यंत प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकती है। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि विश्व–ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं की लागत बहुत भारी होती है। वर्तमान वैश्विक औसत के आधार पर यह लागत अत्यधिक बढ़

बल्कि एक जिम्मेदार, सक्षम और विश्वस्तरीय आयोजक राष्ट्र बन चुका है। फिर भी अंतिम प्रश्न यही है–क्या भारत संस्थागत रूप से तैयार है? खेल संघों में आंतरिक राजनीति, पारदर्शिता का अभाव, भ्रष्टाचार, चयन प्रक्रियाओं की कमजोरी और प्रशासनिक अनिश्चितताक्यूे समस्याएँ अभी भी भारतीय खेल तंत्र को कमजोर बनाती हैं। यदि इन कमियों को दूर न किया गया तो 2030 और 2036 दोनों आयोजनों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अंततः, 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए एक विशाल अवसर और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी हैं। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक–शक्ति, तकनीकी क्षमता, सांस्कृतिक विविधता और प्रशासनिक क्षमता को प्रदर्शन हो सकता है। यह 2036 विश्व–ओलंपिक के प्रस्ताव को निर्णायक रूप से सशक्त कर सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब भारत इसे केवल दिखावे का आयोजन न समझकर, इसे दीर्घकालिक राष्ट्रहित से जोड़कर देखे। जिन्हें निवेश टिकाऊ हो, नीतियाँ पारदर्शी हों, प्रशासन उत्तरदायी हो, और अधोसंरचना जनता के उपयोग में रहे, तो यह दोनों आयोजन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय खोल सकते हैं। स्पष्ट है–2030 राष्ट्रमंडल खेल केवल “एक आयोजन” नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान, आर्थिक भविष्य और कूटनीतिक शक्ति का एक विस्तृत परीक्षण है। यह वह मोड़ है जहाँ सफलता भारत को विश्व खेल–पटल के केंद्र में स्थापित कर सकती है, और किसी भी प्रकार की विफलता इसे वर्षों पीछे धकेल सकती है। इसलिए भारत को इस यात्रा में संकल्प, सावधानी और दूरदृष्टि–त्तीनों का संतुलन बनाए रखना होगा।

डिजिटल अरेस्ट

यह विडंबना है कि जब तक देश में कथित डिजिटल अरेस्ट के नाम पर अनुमानित तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक ठगी की जा चुकी है, कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं, अपराधियों पर शिकंजा कसने की बड़ी मुहिम शुरू हो पा रही है। वह भी सरकार के बजट शीर्ष अदालत की पहल पर। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर गंभीर चिंता जताते हुए सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह अन्य साइबर अपराधों की जांच बाद में करे, डिजिटल अरेस्ट की जांच को अपनी प्राथमिकता बनाए। कोर्ट ने केंद्रीय बैंक से पूछा है कि क्या एआई की मदद से साइबर ठगों के खाते फ्रीज हो सकते हैं? कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि यदि किसी गंभीर डिजिटल अपराध का दाघरा भारत से बाहर की सीमा में हो तो वह इंटरपोल की मदद ले सकती है। दुखद है कि साइबर अरेस्ट के मामलों में सबसे अधिक निशाना बुजुर्गों को ही बनाया जाता है, जिन्हें डिजिटल लेन–देन की गंभीर जानकारी नहीं होती। बुजुर्गों को निशाना बनाने का यह प्रतिशत 78 से 82 फीसदी बताया जाता है। कई जगह यह प्रतिशत 99 फीसदी तक है। वहीं जनवरी से अप्रैल 2024 में साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के 46 फीसदी मामलों के तार म्यांमार,कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जुड़े रहे हैं। निरसंदेह, हाल के वर्षों में डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराध के सबसे कुटिल रूप में बनकर उभरी है। यह अपराध न केवल देश की वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता के लिये, बल्कि कानून प्रवर्तन तंत्र में जनता के विश्वास के लिये भी बड़ा खतरा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन घोटालों की देशव्यापी जांच सीबीआई को सौंपने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय समय के अनुरूप सार्थक हस्तक्षेप है। इसी क्रम में कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में अपराधों की जांच के लिये सीबीआई को सहमति दें। दरअसल, न्यायालय ने इस हकीकत को स्वीकार किया है कि साइबर अपराधी राज्यों की सीमाओं का लाभ उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर टुकड़ों–टुकड़ों में जांच सीमा–पार के साइबर अपराधियों के नेटवर्क को बढ़ावा देती है।



मौलाना सैफ बोले, वेबसाइट क्रैश, समय बढ़ाना जरूरी

प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें वहीं रखा जाएगा। आदिस्थानाथ ने कहा कि निरुद्ध कैदों में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के मुताबिक उनके देशों में वापस भेज दिया जाएगा। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। अधिकारी पुलिस टीम के साथ झुगियों में पहुंचकर जांच कर रहे हैं, वहां के निवासियों के आधा कार्ड, वोटर कार्ड समेत अन्य कागजात देखे जा रहे हैं। स्थिति लोगों की नागरिकता की जांच भी की जा रही है। ऐसे में जो व्यक्ति घुसपैठिया मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी निश्चित है।

साइड क्रैश हो गई हैं और कई दिनों से काम नहीं हो पा रहा है। सुप्रियो कोर्ट से भी कोई सहा नहीं मिली है। हमने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री को पत्र लिखकर वकफ किया है कि अगर सरकार वकफ हित में काम कर रही है तो अंतिम तिथि 5 दिसम्बर को बढ़ाया जाए। मौलाना ने कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक दिक्कत हो रही है जहाँ इंटरनेट सही काम नहीं करता। इन्होंने कहा कि अगर कुछ समय और मिल जाएगा तो उम्मीद पोर्टल पर सभी वकफ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में लोगों के अंदर जागरूकता और जाणकारी नहीं थी बावजूद कि जागरूक हुए तो पोर्टल उप हो गया। हम चाहते हैं कि सरकार जनहित और वकफ हित में अंतिम तारीख जरूर बढ़ाए। मौलाना ने पूरे भारत के वकफ अध्यक्षों से अपील किया है कि डेलीगेशन बनाकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री से मुलाकात करें। अपनी समस्या बढ़ाने की मांग करें।

भाभागर में उम्र 30 कैडर के 77 वें आर आर के 23 प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारियों से भेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारी अपनी बेहतर कार्य शैली एवं जन सेवांदा के माध्यम से आम जन नागरिकों में बेहतर छवि बनाने में कोई कसर न छोड़ें। संजय प्रसाद ने प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आप सभी जन आकांक्षों की कसौटी पर भविष्य में खरा उतरे और पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए अधिक से अधिक जनता का विश्वास प्राप्त करें। उन्होंने यह भी कहा कि सभी प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारी जनसमुदायों हेतु निर्धासित समय पर कार्यालय में बैठे और समस्याओं के निस्तारण कराये। जनसुनवाई के दौरान आगन्तुकों से विनम्र व्यवहार करें।

प्रमुख सचिव गृह से मिलने आये प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारी सर्वप्रथम राजेन्द्र, अंजना दहिया, अश्विनी बंसल, बजरंग प्रसाद, दिवक्षा भोरिया, विनेश गोदारा, ईश्वर लाल गुज्जर, सुमेधा मिलिंद, जयबिन्द कुमार गुप्ता, कनिष्क आर0 जामकर, मानशी मोदी, आफताब आलम, प्रदीप कुमार, प्रेमसूय दरिया, एस0 डी0 चौहान, समायक चौधरी, संचित शर्मा, सारिका चौधरी, जैलन गौतम, सृष्टि जैन, शुभम शैल, सिमरन सिंह व विनय कुमार यादव हैं। इस मौके पर अप्रतिम पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, बी0डी0 पालसत तथा विशेष सचिव गृह राकेश कुमार मालपाला, महेन्द्र व मंजुलता सिंह के साथ अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

प्रमुख सचिव गृह से मिलने आये
अप्रिथु ओआईपीओ अधिकारी सचिव
समय राजेन्द्र, जेन्सा दहिया, अर्कत
बंसल, बजरंग प्रसाद, दिवशा भोरिया
दिनेश गोदारा, ईश्वर लाल गुप्ता,
सुनिका मिलिंद, ईश्वरन्द कुमार गुजरार
कनिका अरौ जयचन्द, मानश्री, मोटा
आफताब अलम, प्रदीप कुमार
प्रेमसुन्दर अलम, ओपी दीप्ती चौहान,
समकुम चौधरी, संजित शर्मा, साहिका
चौधरी, श्लोक गौतम, सुष्टि जैन,
शुभम जैन, सिमरन सिंह व विनय
कुमार यादव है। इस सीके पर अरु
पुलिस हाईनेडिक्वेल, प्रक्षिण, बीओडी
पालसम तथा विशेष सचिव गृह राकेश
कुमार मालवी, मेहेन्द्र व मंगलत
सिंह के साथ अन्य अधिकारी भी
उपस्थित रहे।

अनिल ने बताया एक्सीडेंट से दिव्यांग गुप्ता के मुताबिक, साल में लगभग 150 से 200 आर्टिफिशियल लिंब बनाए जाते हैं। लगभग इतने ही पुराने मामले होते हैं। जिसमें मरीज अपना लिंब बदलवाने या नया करवाने आते हैं। 5 से 6 हजार आर्टिफिशियल लिंब ऐसे मरीजों के

पुष्पा के कुताबिक, साल में लगभग 150 से 200 आर्टिफिशियल लिंब बनाए जाते हैं। लगभग इतने ही पुराने मामले होते हैं। जिसमें मरीज अपना लिंब बदलवाने या नयन करवाने आते हैं। 5 से 6 हजार आर्टिफिशियल लिंब ऐसे मरीजों के

लिप बन्तें हैं जो किसी अन्य बीमारी से पीड़ित होते हैं। जिसमें संकेत पास्ली, पोलियो और ट्रॉमा के कारण शामिल हैं। बीकटी के रहने वाले आठवीं पास दीपक ने बताया मैं पढ़ाई करता था पर अचानक से परे मैं दिक्कत हुई जिस कारण स्कूल जाना छूट गया। तब से लगातार अस्पतालों के चक्कर काट रहा हूं। दवाई पर चल रहा हूं। डॉक्टर ने बताया है कि मुझे जो बीमारी हुई है इसका इलाज है और उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तब एक बार फिर से पढ़ाई शुरू कर सकूंगा। मैं आगे चलकर शिक्षक बनना चाहता हूं। दीपक की मां नीलम कहती हैं बेटा पढ़ाई में बहुत तेज था। वह रोज स्कूल जाता था और अचानक दोनों पैंसों में उसके अकड़न हुई फिर उसका चलन फिरना बंद हो गया। अब पूरी तरफ से व्हीलचेयर पर हैं। शुरूआत में इलाज में थोड़ी लापरवाही हुई पर अब लगातार इलाज चल रहा है। केजीएमयू के डॉक्टरों ने कहा व्हील ठीक हो जाएगा। आज यहां आए थे तो व्हीलचेयर मिली है। बेटा बहुत खुश है।

गोशालाओं में बनी रहे गो

दिये र

संवाददाता

लखनऊ। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विगत एक सप्ताह में प्रदेश के सभी गोशालास्थल पर पर व्यवस्थाओं के संबंध में जनपदीय नोडल अधिकारियों द्वारा किए गये निरीक्षण और उनके द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देशों, अधिकारों नियमित रूप से गोशालाओं का निरीक्षण करते हैं। गोशालाओं में प्रकाश सोलर लाइट की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए। गोवंश हेतु हरे चारे, ठंड से बचाव, तिरपाल, औषधियां, पेयजल आदि की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। प्रत्येक गोशाला पर सीसीटीवी क्रियाशील करा जाए और वृद्ध गोवंशक केन्द्रों पर झोले के उपयोग की संभावनाओं पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। निराश्रित गोवंश संरक्षण हेतु संजालित गोशालास्थलों के संरक्षण प्रबंधन तथा संरक्षित गोवंश के भरण

करते रहें। गोशालाओं में प्रकाश सोलर लाइट की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए। गोवंश हेतु हरे चारे, ठंड से बचाव, तृप्तिपल, आंधियाँ, पेयजल आदि की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। प्रत्येक गोशाला पर वृषीटीवी क्रियाशील करायें जाए और वृषीटीवी गोसंरक्षण केन्द्रों पर ड्रोन के उपयोग की सामान्यताओं पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। निराश्रित गोवंश संरक्षण हेतु संचालित गोआश्रय स्थलों के संचालन, प्रबंधन तथा संरक्षित गोवंश के भरण चारा, सफाई, पशु चिकित्सा, आदि चीजें चारा तथा शीघ्र रूप से बचाव के लिए उचित प्रबंध पाये गये हैं। कासजंम के हरे चारे उपलब्ध हैं व साइलेंजर उपलब्धता नहीं है। अस्थायी गोआश्रय स्थल मण्डी समिति में अतिरिक्त शेड की आवश्यकता है। हापुड़ में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा गोआश्रय स्थलों का नियमित भ्रमण नहीं किया जा रहा जिस कारण गोवंशों को प्रचुर मात्रा में हरा चारा, दाना, भूसा इत्यादि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है एवं अवशेष निराश्रित गोवंश यत्र तत्र विचरण करते दिखे

रण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध- सिंह

जनपद महाराजगंज में गोआश्रय स्थलों में सीसीटीवी कैमरे संचालित नहीं पाये गये। कानपुर देहात में गैरा ब्लाक अंगरंग गोआश्रय स्थलों में गैरा ब्लाक हजरा चारा नहीं खिलाया जा रहा है और अभिलेख पूर्ण नहीं पाये गये। जनपद प्रतापगढ़ में पशुआहार का टेण्डर नहीं पाई है और गोआश्रय स्थलों पर साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गयी। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि जहां कमी पाई गई है वहां निरश्रित गोवंश की बेहतर देखभाल, रखरखाव को दुरुस्त किया जाए। ठंड से किसी गोवंश की मृत्यु न हो पशुचिकित्साधिकारी गौ आश्रयस्थल पर जाकर गोवंश को उत्तम स्वास्थ्य, पशुचिकित्सा एवं औषधि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दुग्ध समितियां किसी भी दशा में बंद न होने पाए और उत्तमका संवर्धन सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से किया जाए। बैटक में प्रमुख सचिव पशुधन एवं गोपालन विकास श्री मुकेश मैश्रम ने नंजी जी को आभारस्त करत हुए कहा कि

गोआश्रय स्थलों पर सभी व्यवस्थाएँ उत्तरे प्राप्त निर्देशानुसार सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि गोशालाओं पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए और गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव कार्य किया जाए। गोसंरक्षण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उपरीनीतता स्वीकार नहीं होगी। बैटक में बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 7560 निराश्रित गोआश्रय स्थल हैं, जिनमें 123525 गोवंश संरक्षित हैं। मा० मुख्यमंत्री सहभागिता योजनागत कुल सुपुर्ण गोवंश 180919 हैं, जिनसे 114628 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। बैटक में पशुधन विभाग के विशेष सचिव देवेन्द्र पावगरे, पीसीडीएफ एमडी वैभव श्रीवास्तव, दुग्ध आयुक्त के धनलक्ष्मी, विशेष सचिव दुग्ध राम सहाय यादव, पशुपालन विभाग के निदेशक प्रशासन एवं विकास डॉ० मेमपाल सिंह उपस्थित थे।

योगी सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध- सिंह

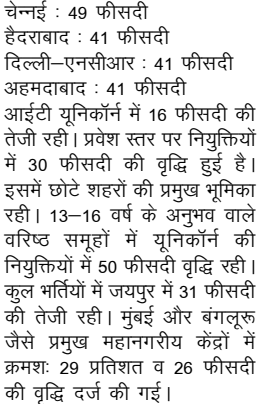
एनसीएल सीडब्ल्यूएस ने सीएसआर के तहत स्कूली बच्चों को निःशुल्क जूते प्रदान किए

200 से अधिक बच्चों ने उठाया लाभ

कर्ज रिपोर्टों में गलतियां, क्रेडिट सूचना कंपनियों के खिलाफ बढ़ीं शिकायतें

अधिक रिफाइंड उत्पादों और सेवा सटीकता की बढ़ती अपेक्षाओं से जुड़ते हुए दर्शाते हैं। बैंकों के खिलाफ सत्रसे ज्यादा शिकायतें मिलने का क्रम जारी है। वित्त वर्ष 2024-25 में और डेबिट कार्ड में आई भारी कमी हालांकि, कुछ श्रेणियों में थोड़ी राहत देखी गई। एटीएम और डेबिट कार्डों से जुड़ी शिकायतें 14.56 फीसदी से घटकर 7.47 फीसदी हो गईं।

संगठित क्षेत्र की नौकरियों में 23 फीसदी की बढ़त, गैर-आईटी क्षेत्रों में बढ़ी मांग



आरबीआई की एमपीसी बैठक शुरू, मजबूत GDP और घटती महंगाई के बीच रेपो दर पर रहेगी नजर

दरों में कटौती नहीं करता इस बीच वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोयलरएज स्टैंडिंग के एमडी और ग्रुप सीआईओ मेहुल पंड्या ने बताया कि मजबूत जीडीपी वृद्धि और कई वर्षों से कम महंगाई दोनों ही ब्याज गतिविधियों के लिए विपरीत संकेत देते हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों घटनाक्रम ब्याज दर के दृष्टिकोण से परस्पर विरोधी ताकत हैं। केंद्रीय बैंक आमतौर पर जीडीपी वृद्धि द्वारा दर्शाई गई मजबूत आर्थिक गतिविधि की अवधि के दौरान ब्याज दरों में कटौती नहीं करते हैं। साथ ही, केंद्रीय बैंक आमतौर पर कम महंगाई वाले माहौल में ब्याज दरों में कटौती करके प्रतिक्रिया देते हैं।

रुपये में रिकॉर्ड गिरावट कांग्रेस आक्रामक, वीडियो साझा कर प्रधानमंत्री को उनकी ही बात याद दिलाई

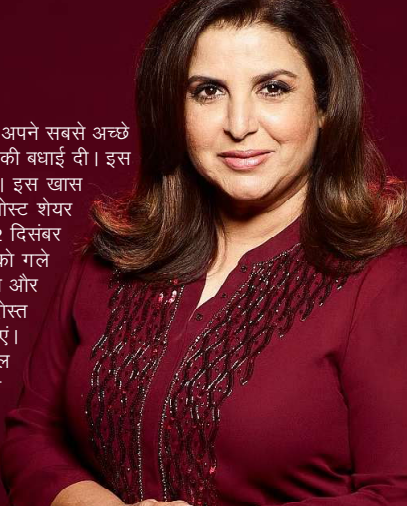
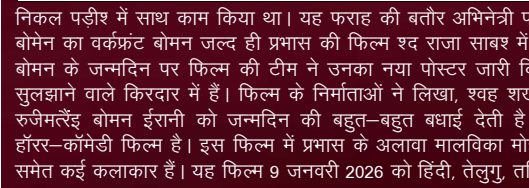
पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी का पुराना बयान सोशल मीडिया पर साझा किया है। इसमें मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, ऐसे में भारत वैश्विक व्यापार में टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी इस बोज़ को सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है।

जिस प्रकार से डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, ऐसे में विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी इस बोज़ को सह नहीं पाएंगे, लेकिन दिल्ली की सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। इसके बाद कांग्रेस ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार ... रुपया 90 के रुपय इस हफ्ते रुपये का हाल भारतीय व्यापारि सोमवार को विदेशी मुद्रा बाजार में बड़ी गिरावट के साथ अपने नए सर्वकालिक निचले स्तर पर फिसल गया। शुरुआती कारोबार में रुपये में दबाव बढ़ा औसत यह डॉलर के मुकाबले 34 पैसे गिरकर 89.79 के रिकॉर्ड लो पर आया। वहीं रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 रुपये प्रति डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को छूने के बाद 42 पैसे की गिरावट के साथ 89.95 रुपये (अंतिम) के सर्वकालिक निम्न स्तर पर बंद हुआ।

टैरिफ का फायदा उठाकर चीन बढ़ा रहा दबदबा, भारत के निर्यात में 12.6% गिरावट, कई सेक्टर हुए प्रभावित

का यह मेल भारत की निर्यात क्षमता को कमजोर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स ही एकमात्र बेहतर क्षेत्र है। स्मार्टफोन ने इस क्षेत्र के निर्यात में 60 फीसदी का भारी योगदान दिया। इसमें अक्टूबर में आईफोन का योगदान 1.6 अरब डॉलर था। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह वास्तविक वृद्धि नहीं है। आकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि अक्टूबर में भारत के व्यापारिक निर्यात में भारी कमी देखी गई। अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों में भी इसी तरह की गिरावट दर्ज की गई। यह कई वर्षों में पहली बार हुआ है। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, लंबे समय में पहली बार भारी की शीर्ष दस निर्यात श्रेणियों में सामूहिक रूप से गिरावट आई है।

**फराह खान ने बॉमन ईरानी को दी जन्मदिन
की बधाई, शेयर की प्यारी तस्वीर**



जन्मदिन

खान ने अपने सबसे अच्छे
 जन्मदिन की बधाई दी। इस
 मनाया। इस खास
 प्यारा पोस्ट शेयर
 जन्मदिन 2 दिसंबर
 बोमन को गले
 शेयर की और
 शाली दोस्त
 मकामनाएं।
 मैं ने साल
 की तो

लम है।
 रहस्य
 3 टीम
 बर एक
 मेन ईरानी
 लीज होगी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौथे प्रिंटेर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजु सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743